



पत्र सं०: 8वीं/यू0पी0/06/32/2023/एफ.सी. / 2 2 2

दिनांक: 06.07.2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/ROAD/153349/2022

विषय: जनपद कौशांबी में राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा किमी 49.155 से किमी 74.700 तक (सिगरौर उपरहार से बरनपुर कादीपुर इचौली) पर हाईब्रिड वार्षिक मोड पर क्रास कर रहे एन0एच0-731ए जिला कौशांबी में प्रस्तावित 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण में प्रभावित 15.461 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर-वानिकी प्रयोग एवं बाघक 51 वृक्षां के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

संदर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 3878/11-सी-FP/UP/Road/153349/2022, दिनांक 08.06.2023

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक पी-43/81-2-2023-800(34)/2023, दिनांक 01.03.2023 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के सम-संख्यक पत्र दिनांक 24.03.2023 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर आवश्यक जानकारी/सूचना मांगी गयी थी, जिसकी अनुपालना उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित की गई है। प्रकरण को दिनांक 22.06.2023 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में Agenda Item No. 6.4 (UP) सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) द्वारा प्रस्ताव के सम्बन्ध में विभिन्न प्रेच्छाओं के अभाव में प्रकरण को आस्थगित (defer) कर दिया गया है।

अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण के सम्बन्ध में क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) के निर्णयानुसार निम्नलिखित जानकारी/सूचना इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

- 1- Revised KML file needs to be provided to support the reply of EDS dated 08.06.2023 of query at S.No. 2.
- 2- As per the previous query SI No.-III regarding uploading of SOI toposheet on the portal is still not resolved. Adjacent SOI toposheet (63G/6) of the area proposed for diversion also needs to be uploaded on PARIVESH Portal for complete depiction of complete alignment.
- 3- Alternate area needs to be proposed for CA. Accordingly, KML file of revised CA area and all related documents needs to be uploaded on PARIVESH Portal.
- 4- User agency/DFO needs to certify that the road was constructed prior to 1980.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, कौशांबी।
4. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक— 71 /11-सी-FP/UP/Road/153349/2022, लखनऊ, दिनांक: जुलाई 10, 2023

प्रतिलिपि— वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा०वा० वृत्त, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन अपलोड कर इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि— प्रभागीय निदेशक, सा०वा० वन प्रभाग, कौशांबी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन अपलोड कराकर इस कार्यालय को वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि— अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड-1, उ०प्र० लो०नि०वि०, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।